**संख्या-15/2017/871/52-3-2017-बजट(8)/2017**

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□/कार्यपालक अधिकारी,
□0प्र0 राज्य हज समिति,
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 16 □□, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रान्तीय हज समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासन पत्र सं0-576/52-3-17-□□□(8)/2017, दिनांक 09.05.2017 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रान्तीय हज समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपर्युक्त शासनादेश को निरस्त करते हुये वित्त (आय व्ययक) □□0□-1 के कार्यालय ज्ञाप □0□-1/2017/□□-1-02/□□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 के प्रस्तर-2(7) □□□2(8) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 राज्य हज समिति हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्रान्तीय हज समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु लेखानुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 189.70 लाख के अनुमानित व्यय का 5/12वां भाग रू0 79.04 □□ (रू0 उन्नासी लाख चार हजार मात्र) एवं वेतनादि के अतिरिक्त अन्य व्ययों को वहन करने हेतु 20 स□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 55.00 लाख के अनुमानित व्यय का 5/12□□ भाग रू0 22.91 □□ (रू0 बाइस लाख इक्यानवें हजार मात्र) तथा पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 10.46 लाख के अनुमानित व्यय का 5/12□□□□ रू0 04.36 □□ (रू0 चार लाख छत्तीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 106.31 □□ (रू0 □□ □□□ छः लाख इकत्तीस हजार मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा □□□□□ को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) वेतन मद में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/ उपयोगिता प्रमाण-पत्र □□□ □□ 31.08.2017 □□ □□□ □□□□□ □□□□□ (गैर वेतन मद में) स्वीकृत धनराशि के

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सापेक्ष व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.08.2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा। पाँच माह के रूप में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(4) □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक , उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त □□ □□ □□□□

(5) धनराशि के व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्यता संबंधी आदेशों का विधिवत पालन किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03 प्रान्तीय हज समिति को अनुदान-20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□)/31-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□□)/ 53- पुनरीक्षित वेतन का □□□□ (राज्य सहायता) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/□□-2017- 213/2017, दिनांक 02.01.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(□□□□□ □□0 गर्ग)
प्रमुख सचिव

**संख्या-871(1)/52-3-17-तददिनांक।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□
2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□
3- मुख्य कोषाधिकारी, के□□□□□, □□□□□
4- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□
5- □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 □□□□□
6- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□
7- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वैभव श्रीवास्तव)

---

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।